

९५८५३

२५/८१/२२

जारी करने वाले प्रधानमंत्री प.5(8)श्रमि / 22

राजस्थान सरकार
श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग

Est:
24-5-2022

जयपुर, दिनांक

20 MAY 2022

परिपत्र

विभागीय अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन बोर्ड एवं विश्वविद्यालय भर्ती आदि में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने से पूर्व विभागीय अनापत्ति चाही जाती है, जिससे न केवल प्रकरण में विलम्ब होता है, बल्कि अनावश्यक पत्राचार व कार्यभार बढ़ता है।

स हेतु वित्त (राजस्व) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.7(2)FD/Tax/2016Pt. दिनांक 01.10.2020 एवं Corrigendum प.1(11) दिनांक 07.10.2020 के समान ही आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिये अपने विभागाध्यक्ष और प्रशासनिक विभाग से अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है।

अतः उक्त परिपत्र के प्रावधान शैक्षणिक कार्यकमों को छोड़कर संघ लोक सेवा आयोग और अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के संगठनों द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी लागू किए जाते हैं।

(डॉ. आरुषी मलिक)

शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. नेजी सचिव, मा.मंत्री, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, जयपुर
3. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, श्रम कौशल नियोजन एवं उद्यमिता, जयपुर
4. आयुक्त, श्रम विभाग, जयपुर
5. निदेशक, रोजगार विभाग, जयपुर
6. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, जोधपुर
7. मुख्य निरीक्षक, कारखाना एवं बॉयलर्स विभाग, जयपुर
8. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर
9. निदेशक, ई.एस.आई. जयपुर
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य कौशल विश्वविद्यालय (रिसू), जयपुर
11. सम्बन्धित उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग,
12. सम्बन्धित अधिकारीगण मार्फत निदेशक, (प्रशिक्षण) प्राविधिक निदेशालय, जोधपुर
13. रक्षित पत्रावली

शासन सचिव

प्र उ.ट. नं. ८१ अंकित ५२ लेख है
कि इसे विभागीय website पर display करें।

26/5/2022